

23/03/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं
उपायुक्त। रूपान आदेश को प्रमाणित
पेशी तारीख तब उठाया जाकर
वासी तलकी अणलीगण पत्रावली
तारीख 11/06/25 को पेश करें।

अधिवक्ता
प्रार्थी एवं प्रार्थीगण
(SDO), बाड़मेर

11.06.25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं
प्रार्थीगण के नाम से न्यायालय समय में
अलग-अलग समय पर तीन बार आज्ञा
दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता
प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को
लेकर गंभीर नहीं हैं।
लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम पेखी'
व 'अदम हाजिरी' में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर
हो व नंबर से कम हो।

अधिवक्ता
प्रार्थी एवं प्रार्थीगण
(SDO), बाड़मेर